न्यायालय में श्री मान राजस्व मण्डल कैम्प रीवा (म0प्र0)

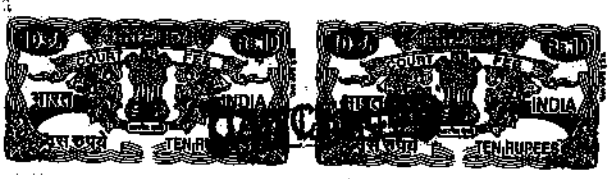

[illegible]लाल वल्द कोदरा गोड सा0 वेन्दी थाना व तहसील राजेन्द्रग्राम/पुस्पराजगढ जिला अनूपपुर (म0प्र0)......................निगरानीकर्ता

बनाम

1. चन्द्रभान सिंह पिता रावत सिंह

2 मान सिंह पिता रावत सिंह

मृत जरिये वैध उत्तराधिकारी

(अ) आनन्द सिंह गोड (ब) राय सिंह गोड (स) मन्ना सिंह गोड

(द) दलवीर सिंह उक्त चारो पिता

3. गोकुल सिंह पिता रावत सिंह

4. हल्कुदास उत्तराधिकारी – (क) भूवतदारा उर्फ भूया पनिका (ख) रामशरण (ग) दशरथ (घ) संतोष (ड.) दिलीप आत्मज हल्कूदास पनिका

5. रतीराम आत्मज साधू सिंह मृत जरिये उत्तराधिकारी विद्यावती आत्मजा रतीराम गोंड सभी निवासी ग्राम वेन्दी तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर (म0प्र0)..गैर निगरानीकार

निगरानी आदेश दिनाँक – 30/05/2014

प्र0क0 83 निगरानी , 2012 –13 न्यायालय

श्री मान अपर कमिश्नर शहडोल

चन्द्रभान बनाम रतीराम वगैरह

मान्यवर

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है।

प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित है:–

यह कि आवेदक/निगरानी कर्ता माननीय कलेक्टर साहब अनूपपुर के न्यायालय में प्रकरण क0 03 पुर्नविलोकन /2006–2007 में आपत्तीकर्ता /गैर निगराकार आपत्तीकर्ता के रूप में गैर निगराकार के द्वारा आपत्तीकर्ता को पक्षकार ने बनाये जाने के कारण उपस्थित हुआ था। और पूरे प्रकरण के सुनवाई के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहा तथा पक्षकार बनने के लिए निगराकार ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार किया गया था। संभवतः वकील की गलती के कारण प्रकरण के उनमान मे निगराकार का नाम नही जोडा होगा इस कारण निगराकार के नाम पक्षकार की नामो मे लाल स्याही से अंकित नही हुआ फिर भी निगराकार निर्णय दिनाँक तक न्यायालय में उपस्थित

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

हीरालाल/चन्द्रभान सिंह आदि

प्रकरण कमांक निग0 2890–तीन/15 **जिला –शहडोल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 83/2012–13 आदेश दिनांक 30–5–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। ग्रह्यता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक कलेक्टर, अनूपपुर के न्यायालय के प्रकरण कमांक 3/पुर्नविलोकन/2006–07 में आपत्तिकर्ता के रूप में पूरे प्रकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित था । एवं पक्षकार बनने के लिये आवेदन–पत्र भी प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार किया गया था, परन्तु सम्भवतः अभिभाषक की गलती के कारण प्रकरण के उनमान में आवेदन का नाम नहीं जोड़ा गया होगा इसलिये पक्षकार के नामों में आवेदक का नाम लाल स्याही से अंकित नहीं हुआ । कलेक्टर, द्वारा अनावेदकों के पुर्नविलोकन आवेदन– पत्र को निरस्त कर दिया । जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त, न्यायालय में आनंद सिंह आदि द्वारा निगरानी प्रस्तुत की । जिसमें रतीराम के वारिसों को अनावेदक बनाया परन्तु आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, न्यायालय में पक्षकार बनाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया तथा आपत्ति	

R 2890-III/15 अशोकनगर

प्रस्तुत की तथा यह बताया कि अनावेदक रतीराम के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता (निगरानीकर्ता) आवेदक को वसीयत की थी । अतः वह आवश्यक पक्षकार है । इसलिये उसे पक्षकार के रूप में मान्य किया जाय । अपर आयुक्त, द्वारा आदेश दिनांक 30-5-2014 को आवेदन निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त, ने अपने विचाराधीन आदेश में आवेदक को रतीराम का वारिस न होना तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार न होने से आवेदन अस्वीकार किया है । आवेदक द्वारा विचाराधीन भूमि की वसीयत प्राप्तकर्ता होना बताया है एवं इस आधार पर पक्षकार बनना चाहता है, परन्तु आवेदक यह नहीं बता सका कि रतीराम की वसीयत प्राप्त होने पर उसके द्वारा विचाराधीन भूमि पर वैधानिक स्वत्व हासिल करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है । केवल आपत्तिकर्ता होने से ही पक्षकार बनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । अतः अपर आयुक्त, द्वारा किए गए आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई वैधानिक आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य